दिनांक 28.05.12 / 29.05.12 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) के कार्यों की समीक्षा की कार्यवाही

दिनांक 16.02.12 की बैठक में मुख्य अभियंता (यॉ॰) को निदेश दिया गया था कि वर्ष 2006–07 से अबतक कई ऐसे कार्य यॉत्रिक प्रमंडल, राँची के हैं जिसमें अन्तिम विपत्रीकरण नहीं किया गया है। इसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है, मुख्य अभियंता (यॉ॰), राँची को निदेश दिया गया कि अन्तिम विपत्रीकरण का कार्य अगस्त–2012 तक निश्चित रूप से करा लेंगे।

कारवाई–मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), राँची

पंचखेरो जलाशय योजना– मुख्य अभियंता (यॉ॰), राँची द्वारा बतलाया गया कि पंचखेरो जलाशय योजना के गेट के Operation चैम्बर में दरवाजा एवं खिड़की नहीं लगा हुआ है। अतः यदि गेट को Operative बना भी दिया जाता है तो इसे पुनः क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

मुख्य अभियंता, हजारीबाग गेट के Operation चैम्बर में दरवाजा एवं खिड़की शीघ्र लगवा दें।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, जल संसाधन, हजारीबाग)

अपरशंख जलाशय योजना– मुख्य अभियंता (यॉ॰), राँची को निदेश दिया गया कि अपरशंख जलाशय योजना के गेटों को 15 जून तक Operative एवं Leak proof बनाना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता (यॉ॰), राँची)

तपकरा जलाशय योजना– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को निदेश दिया गया कि गेट तक का पहुँच पथ का निरीक्षण कर विभाग को 10 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन देंगे कि पहुँच पथ जो अधूरा बना हुआ है उसे नया बनाना है या पूराने को ही मरम्मति करनी है। जो अधूरा पहुँच पथ बना हुआ है। उसमें कितना व्यय हुआ है।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची)

त्रिवेणी वियर योजना– कार्यपालक अभियंता (यॉ॰), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर द्वारा बतलाया गया कि त्रिवेणी वियर योजना के फालिंग शटर, स्लुईस गेट, शीर्ष नियामक गेट तथा मुख्य नहर के चेन सं॰–97 एवं 337 के शीर्ष नियामक गेटों का निविदा तीन ग्रुपों में निकाल दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता (यॉ॰) को निदेश दिया गया कि इस निविदा को रद्द कर एक ग्रुप में निविदा निकालें।

(कारवाई–कार्यपालक अभियंता (यॉ॰), देवघर)

अभिनव

त्रिवेणी मुख्य नहर के चेन सं॰–337 पर C/R गेट का असैनिक संरचना नहीं बना हुआ है। मुख्य अभियंता, देवघर को निदेश दिया गया कि असैनिक संरचना का रूपांकण कराकर शीघ्र असैनिक संरचना का निर्माण करावें ताकि गेटों का कार्य हो सके।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर)

ह०/-
(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः................................./राँची, दिनांकः.......................

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता (याँ॰)/मुख्य अभियंता, देवघर/मुख्य अभियंता, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः................................./राँची, दिनांकः.......................

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव एवं विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 449 /राँची, दिनांकः 16/6/2012

प्रतिलिपिः Web Manager, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। संबंधित पदाधिकारियों को e-mail से प्रेषित करें।

16/6/12
(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव
16/6/12

अभिनव